बिहार सरकार
<u>उद्योग विभाग</u>

पत्रांक– /पटना, दिनांक–
सं0सं0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/2018
प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वाराः– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :–राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि रू0 50.00 करोड़ (पचास करोड़ रुपये) की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–922 दिनांक–06.06.2018 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि रू0 50.00 करोड़ (पचास करोड़ रुपये) की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. इस योजनान्तर्गत लाभुकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन बिहार स्टार्ट अप फंड ट्रस्ट को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त समिति द्वारा परियोजना के लिए राशि का मूल्यांकन उद्यमी की आवश्यकताओं को देखते हुए की जायेगी एवं आवश्यक राशि स्वीकृत की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजना की प्रथम किस्त के रूप में रू0 45.18 करोड़ (पैतालीस करोड़ अट्ठारह लाख रुपये) विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–922 दिनांक–06.06.2018 द्वारा विमुक्त किया गया है। आवेदकों की संख्या में वृद्धि के अनुसार इस योजनान्तर्गत समुचित राशि का उपबंध किया जायेगा।

3. प्रस्तावित राशि रु0 50.00 करोड़ (पचास करोड़) का व्यय द्वितीय अनुपूरक आगणन द्वारा उपबंधित राशि निम्न बजट शीर्ष से की जायेगी।

(I) मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80– सामान्य, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0101–व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रख रखाव बिहार व्यापार विकास कोष, विषय शीर्ष–2701, विपत्र कोड–23–2852807890101 मद में रु0 **20.40 करोड़** (बीस करोड़ चालीस लाख रुपये) से विकलित होगा।

(II) मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष –789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0105– प्री प्रोडक्शन एवं प्रोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विषय शीर्ष–3301 सब्सिडी, विपत्र कोड 23–2852807890105 मद में रु0 **24.43 करोड़** (चौबीस करोड़ तैतालीस लाख रुपये) से विकलित होगा।

(III) मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80– सामान्य, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0122– प्री प्रोडक्शन एवं प्रोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना विषयशीर्ष–3301 सब्सिडी, विपत्र कोड–23–2852807960122 मद में रु0 **3.00 करोड़** (तीन करोड़) से विकलित होगा

(IV) मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष–0123–व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रख रखाव–बिहार व्यापार विकास कोष, विषयशीर्ष–2701, लघु कार्य, विपत्र कोड–23–2852807960123 मद में रु0 **2.17 करोड़** (दो करोड़ सत्रह लाख रुपये) से विकलित होगा।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना होगें, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से एकमुश्त राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/RTGS द्वारा बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट को उपलब्ध करायेंगे, जिसका व्यय **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना** में निर्धारित प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।

5. इस योजना के नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी, निदेशक, तकनीकी विकास, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा राशि की उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना को भेजते हुए इसकी एक प्रति विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

6. इस राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 दिनांक 20.05.2014 के अनुरूप की जायेगी।

7. प्रस्ताव में दिनांक 15.05.2018 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–07 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

8. राज्यादेश में संचिका संख्या–4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/2018 के पृष्ट–07/टि0 पर दिनांक 03.01.2019 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि (2), दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि (2) दिनांक 17.04.1998 के कंडिका–2, पत्रांक–2938 वि (2) दिनांक 08.04.2008 के आलोक में किया जायेगी तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनश्चित किया जाएगा।

10. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

11. स्वीकृत्यादेश की अन्य शर्त्ते पूर्ववत रहेंगी।

स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– /पटना, दिनांक–
सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018
प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– /पटना, दिनांक–
सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018
प्रतिलिपिः– विकास आयुक्त, बिहार, पटना के विशेष कार्यपदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– /पटना, दिनांक–
सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018
प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक (तक0)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में)/उप निदेशक (तक0), स्टार्टअप प्रभारी, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 99 /पटना, दिनांक– 08.01.19

सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा–1 (सरकार) योजना, उद्योग विभाग/योजना शाखा, उद्योग विभाग को 05 अतिरिक्त प्रतियों में/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

8/1/19

(6)